



1

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी / 2018

49

निगरानी-4630/2018/8/24/2018

रामआसरे राजोरिया तनय धुरामराजोरिया निवासी ग्राम बरा कीरतपुरा तहसील महेवा छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

.....आवेदक

सुनील सिंह निवासी
एच आर डि. 267-18
प्रस्तुत दिनांक 26-7-18
विवाद क 26-7-18

विरुद्ध

1. उर्मिला उर्फ बेलावाली बेवा रामऔतार गोस्वमी
2. रेखा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
3. हेमा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
4. दिलीप कुमार उर्फ बोरे तनय रामऔतार गोस्वामी समस्त निवासीगण टौरिया मोहल्ला वार्ड क 6 छतरपुर म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत म.प्र भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पारित नायव तहसीलदार मण्डल छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क 1350/बी 121/17-18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.6.2018 के विरुद्ध

26/7/18

आवेदक के ओर से निवेदन निम्न प्रकार है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के अपील क 875/एव 853/अ-6/2017-12 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23.3.2018 के विरुद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी क 2530/एक/2018 प्रस्तुत की है जो निगरानी ग्रह होकर रिकार्ड हेतु पेशी 6.8.2018 नियत है। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर समक्ष सागर के अपील में पारित आलोच्य आदेश के अमल कराने हेतु नायव तहसीलदार छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से प्रकरण क 1350/बी 121/2017-18 दर्ज किया जाकर अमल हेतु प्रकरण चल रहा है जो उचित एवं न्याय संगत नहीं है क्योंकि उक्त विवादित आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी चल रही है जिसमें अनावेदकगण उपस्थिति हो चुके हैं प्रकरण में रिकार्ड भी कुछ प्राप्त हो चुका है इसलिये अब प्रकरण बहस हेतु है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय को अमल की कार्यवाही की जाना न्याय उचित नहीं होगी क्योंकि अगर अमल अनावेदकगण का हो गया तो मोके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और अनावेदकगण भूमि को विक्रय भी

13

10

R 4630/2018 इलाहाबाद
राम आस / जमिनी

2

20-8-18

आवेदक श्री सुनील सिंह
जादीन उप/कापरी या लखनऊ
C/N 25-9-18

ar
25/9/18

25/9

आवेदक श्री सुनील सिंह
उप के द्वारा लखनऊ समझ पाया
जमा

हस्ताक्षर -
25/9
C/N 29/11/18

29.10.18
am

29/11/18

आवेदक श्री सुनील सिंह जादीन उप/कापरी
आवेदक का उपाय को अंश नहीं पकका
जाएत है।
अनुसंधान की काम किया गया। प्रकरण
इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

29.10.18
NR

3

हस्ताक्षर -
29/11/18